Extra

सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

वाद संख्या 4302 / 1024 / 2015 दिनांक 09.08.2017

मो0 युसुफ शेरानी, R 2889
मकान संख्या 07, गली संख्या 02,
कैलाश नगर एयरपोर्ट रोड,
जोधपुर, राजस्थान ... शिकायतकर्ता

बनाम

मण्डल रेल प्रबन्धक, R2890
उत्तर रेलवे, लखनऊ .... प्रतिवादी संख्या 01

अध्यक्ष,
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, R2891
लाजपत नगर, नई दिल्ली .... प्रतिवादी संख्या 02

सुनवाई की तिथि – 14.02.2017 समय 1100 बजे

उपस्थित –

1. शिकायतकर्ता पक्ष से कोई उपस्थित नहीं
2. श्री एस. एस. राणा, ए.पी.ओ. / आर.आर.सी., लाजपत नगर, नई दिल्ली प्रतिवादी पक्ष से

आदेश

शिकायतकर्ता, दृष्टिबाधित व्यक्ति ने बकाया वेतन, भत्ते तथा वरिष्ठता से सम्बन्धित शिकायत दिनांक 12.05.2015 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. शिकायतकर्ता का कहना था कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.01.2014 जो कि केस संख्या 178 / 1015 / 13–14 में पारित किया गया था, के अनुपालन में रेलवे द्वारा उन्हें नौकरी दे दी गई तथा उन्होंने दिनांक 30.09.2014 को नौकरी ज्वाईन भी कर ली। उनका कहना था कि उन्हीं के साथ चुने गए कर्मचारियों की भाँति उन्हें भी दिनांक 17.04.2013 से 30.09.2014 तक का बकाया वेतन एवं भत्ते तथा वरिष्ठता का लाभ दिलवाया जाए।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत मामले को पत्र दिनांक 25.05.2015 के द्वारा प्रतिवादी के साथ उठाया गया।

4. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, लाजपत नगर ने अपने पत्र दिनांक 28.05.2015 द्वारा मण्डल प्रशासनिक अधिकारी, लखनऊ को शिकायतकर्ता की शिकायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। तत्पश्चात इस न्यायालय के पत्र दिनांक 30.06.2015 द्वारा मण्डल रेल प्रबन्धक, लखनऊ से इस न्यायालय के पूर्व पत्र दिनांक 25.05.2015 एवं रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, लाजपत नगर के पत्र दिनांक 28.05.2015 के संदर्भ में मामले में टिप्पणी शीघ्र भेजने हेतु सलाह दी गई।

5. शिकायतकर्ता ने पुनः अपने पत्र दिनांक 10.08.2015 द्वारा निवेदन किया कि वह उपरोक्त केस के अतिरिक्त अपने स्थानान्तरण से सम्बन्धित एक अन्य केस करना चाहते हैं जिसके लिए स्थानान्तरण का आवेदन किया हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फाईल पर मुख्य अभियन्ता महाप्रबन्धक (सीईजी) ने 5 वर्ष की रोक लगा दी जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 14.09.2015 द्वारा यह भी निवेदन किया कि उन्हें मुआवजा एवं वरिष्ठता दिलाई जाए तथा श्री वी.के. चण्डा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या भर्ती प्रकोष्ठ, लाजपत नगर में जो भी दोषी हो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

6. स्मरण पत्र दिनांक 15.09.2016 भेजने के बावजूद भी प्रतिवादी की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न होने तथा शिकायतकर्ता की शिकायत को ध्यान में रखते हुए मामले में सुनवाई की तिथि 14.02.2017 सुनिश्चित की गई।

7. दिनांक 14.02.2017 को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 पक्ष से उपस्थित प्रतिनिधि ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि शिकायतकर्ता को उसके साथ चुने गए कर्मचारियों की भाँति दिनांक 17.04.2013 से वरिष्ठता का लाभ तथा दिनांक 17.04.2013 से दिनांक 30.09.2014 तक का बकाया वेतन एवं भत्ते क्यों न दिया जाए इसके उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 पक्ष से उपस्थित प्रतिनिधि ने कहा कि दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को जिसमें शिकायतकर्ता भी सम्मिलित हैं, समूह 'घ' के पदों पर चयन हेतु प्रारम्भ में मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था परन्तु नियमानुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा दोबारा जाँच कराकर शिकायतकर्ता को योग्य घोषित किया गया और वर्तमान में

शिकायतकर्ता लखनऊ डिविजन में कार्यरत हैं। शिकायतकर्ता का शिकायत का निपटारा किया जा चुका है।

8. शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष दाखिल वाद संख्या 178/1015/13–14 से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को दृष्टिबाधित होने के कारण चिकित्सीय जाँच में आयोग्य घोषित किया गया था जो नियमानुसार नहीं था क्योंकि समुह 'घ: पद दृष्टिबाधित तथा कम दृष्टिवाले व्यक्तियों के लिए चिन्हित है, और इस तरह शिकायतकर्ता के वैधानिक अधिकारों का हनन् किया गया। वाद संख्या 178/1015/13–14 में पारित इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.01.2014 पर प्रतिवादी पुनः चिकित्सीय जाँच कराकर योग्य घोषित किया गया और प्रतिवादी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र दिनांक 23.09.2014 के आधार पर शिकायतकर्ता को दिनांक 30.09.2014 से नियुक्ति दी गई।

9. इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही और फाइल पर उपलब्ध पत्रावलियों के आलोक में शिकायतकर्ता को उसके साथ चुने गए कर्मचारियों की भाँति दिनांक 17.04. 2013 से नियुक्ति नहीं दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 को सलाह दी जाती है कि शिकायतकर्ता को उसके साथ चुने गए कर्मचारियों की भाँति दिनांक 17.04.2013 से अविलम्ब नियुक्ति दिए जाने पर विचार किया जाए ताकि उसे दृष्टिबाधिता के कारण वरिष्ठता का लाभ और देय वेतन से वंचित न होना पड़े।

10. तद्नुसार मामले का निपटारा किया जाता है।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन